

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भदोही-ज्ञानपुर।

दिनांक-17.07.2026

साक्षात्कार पत्र

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22बी के अन्तर्गत गठित स्थायी लोक अदालत के सदस्य पद के रिक्त 01 पद हेतु रू0-2000/-प्रति बैठक एवं रू0-5000/- प्रतिमाह मार्गव्यय के मानदेय पर पाँच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो कि अवधि के लिए चयन हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भदोही द्वारा दिनांक 03.06.2026 को जारी विज्ञप्ति के अनुपालन में प्राप्त आवेदनपत्रों पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है।

उक्त के अनुक्रम में उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या-2232/एसएलएसए-49/2016(हैदर) दिनांकित जुलाई 16, 2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि स्थायी लोक अदालत, भदोही के सदस्य पद के रिक्त 01 पद हेतु समस्त अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 20.07.2026 को प्रातः 10:00 बजे से किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

अतः समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि स्थायी लोक अदालत के रिक्त 01 सदस्य पद हेतु आयोजित साक्षात्कार में दिनांक 20.07.2026 को अपने मूल प्रपत्रों के साथ में प्रातः 09:30 बजे तक अपनी उपस्थिति कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ए0डी0आर0 केन्द्र जिला एवं सत्र न्यायालय सरपतहां ज्ञानपुर भदोही में सुनिश्चित करें। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का पृथक से साक्षात्कार नहीं किया जायेगा।

दिनांक-17.07.2026


पूर्णकालिक निदेशक,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भदोही।
भदोही स्थान ज्ञानपुर

प्रतिलिपि-

1. माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, महोदय को अवलोकनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. माननीय अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत महोदय को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विज्ञापन की प्रति माननीय उच्च न्यायालय व जनपद न्यायालय भदोही के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
4. जिला सूचना अधिकारी, भदोही को इस आशय के साथ प्रेषित कि सूचना की प्रति जनपद के समस्त दैनिक सामाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करवाकर पेपर कटिंग आवश्यक रूप से कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उपलब्ध कराये।
5. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भदोही के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
6. केन्द्रीय नाजिर, नाजरात अनुभाग जनपद न्यायालय भदोही, को विज्ञापन की प्रति जनपद न्यायालय भदोही के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
7. केन्द्रीय नाजिर कलेक्ट्रेट जनपद भदोही को विज्ञापन की प्रति कलेक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
8. अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन, भदोही को विज्ञापन की प्रति बार एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
9. अध्यक्ष, सेण्ट्रल बार एसोसिएशन, भदोही को विज्ञापन की प्रति बार एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
10. समस्त अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र पर अंकित दूरभाष/ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाये।